

# आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक-एफ 23(80)(1)/लेखा/आकाशि/छा.ऑनलाईन/2020-21-2273 दिनांक- 18/03/2021

## आदेश

वित्तीय वर्ष 2020-21 में राजस्थान स्थित राजकीय महाविद्यालयों एवं वित्तपोषित महाविद्यालय / विश्वविद्यालय ने में अध्ययनरत छात्राओं से ऑनलाईन आवेदन पत्र विभागीय वेबसाईट hte.rajasthan.gov.in पर आमंत्रित किये गये थे। महाविद्यालयों/ विश्वविद्यालयों से प्राप्त समस्त ऑनलाईन आवेदन पत्रों की विस्तृत जांच उपरान्त स्वीकृति योग्य आवेदन पत्रों को संबंधित महाविद्यालयों/ विश्वविद्यालयों द्वारा नोडल महाविद्यालय को ऑनलाईन (Forward) करने एवं नोडल महाविद्यालय द्वारा आवेदन पत्रों की जांच उपरान्त पात्र आवेदन पत्रों पर अभिशंषा करने एवं आक्षेप योग्य आवेदन पत्रों को संबंधित महाविद्यालयों/ विद्यार्थियों को प्रतिप्रेषित (Forward) करने के लिये निम्नानुसार तिथियां प्रस्तावित की जाती है :-

क्र.सं.	विषय वस्तु/ छात्रवृत्ति का नाम	निर्धारित तिथियां
1	देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना - वर्ष 2020-21	छात्राओं द्वारा पोर्टल पर आवेदन की प्रारम्भ तिथि 18.1.2021 एवं अंतिम तिथि 05.3.2021
2	महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों से प्राप्त ऑन - लाईन आवेदन पत्रों की गहन जांच कर पात्र आवेदन पत्र जिला नोडल अधिकारी को फॉरवर्ड करने की अंतिम तिथि	22.03.2021
3	देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजनान्तर्गत प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों की संबंधित जिला नोडल अधिकारी द्वारा जांच एवं आक्षेप पूर्ति उपरान्त आयुक्तालय में ऑनलाईन फॉरवर्ड करने की अंतिम तिथि।	26.03.2021

(संदेश नायक, आई.ए.एस.)

आयुक्त


कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,

जयपुर

क्रमांक-एफ 23(80)(1)/लेखा/आकाशि/छा.ऑनलाईन/2020-21-2274-2295 दिनांक- 18/03/2021  
प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त सचिव (पीसी), माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, उच्च शिक्षा विभाग राज. जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा विभाग, जयपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिक एवं संचार विभाग, जयपुर।
6. शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग, जयपुर।
7. शासन सचिव, शिक्षा विभाग, (माध्यमिक/प्राथमिक) जयपुर।

8. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
10. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बीकानेर।
11. निदेशक विशेष योग्यजन, जयपुर।
12. निदेशक संस्कृत शिक्षा विभाग, शिक्षा संकुल, जयपुर।
13. निदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग, जोधपुर।
14. निदेशक (प्रशिक्षण), प्राविधिक शिक्षा विभाग, जोधपुर।
15. राज्य सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एनं.आई.सी. राजस्थान।
16. जिला कलेक्टर (समस्त)
17. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् (समस्त)
18. कोषाधिकारी समस्त राजस्थान।
19. रजिस्ट्रार, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर/महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर/कोटा विश्वविद्यालय कोटा, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर/मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर/महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर/पं. दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर/श्री भृतहरी मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर/बृज विश्वविद्यालय भरतपुर, गोविन्द गुरु जनजाति विश्वविद्यालय, बासवाड़ा, राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय समस्त राजस्थान।
20. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक)/एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यावास को उपरोक्तानुसार बेवसाइट पर अपलोड करवाने।
21. सहायक निदेशक (क्षेत्रीय), जयपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
22. प्राचार्य/जिला नोडल अधिकारी, समस्त राजकीय महाविद्यालय राजस्थान को समयबद्ध कार्यक्रम अनुरूप ऑनलाईन आवेदनों की जाँच एवं आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

  
 (एच.आर. पवार)  
 वित्तीय सहायकाकार